

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062023-246495 CG-DL-E-13062023-246495

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2468] No. 2468] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2023/ज्येष्ठ 23, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2023/JYAISHTHA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2023

का.आ. 2581(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, गुजरात सरकार के परामर्श से, गुजरात के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है), का तीन वर्ष की अविध के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातु:-

(1) श्री अक्षय कुमार सक्सेना, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), के-219, सेक्टर-19, गांधीनगर -382019, गुजरात। अध्यक्ष:

(2) डॉ. सुरेश चंद्र पंत, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), प्लाट सं. 727/ए, सेक्टर 8, गांधीनगर – 382007, गुजरात।

सदस्य:

3739 GI/2023 (1)

(3) श्री धनसुखभाई सी. चौधरी, पूर्व निदेशक, औद्योगिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ए-26/27, न्यूक्लियर पार्क सोसाइटी, यश परिसर के सामने, गोत्री रोड, वड़ोदरा, गुजरात।

(4) श्री जे.के. व्यास,

सदस्य:

सदस्य:

पूर्व निदेशक (पर्यावरण),

ए/1002, रतनाकर-4, प्रेरणा तीर्थ देरासर रोड, रत्नाकर-2 के सामने, जोधपुर गांव,

स्टेलाइट, अहमदाबाद – 380015, गुजरात।

(5) श्री आनंद जिनजला,

सदस्य:

पूर्व उप सचिव,

प्लाट सं. 505/1, सेक्टर-6/बी, गांधीनगर – 382006, गुजरात।

(6) श्री बी.एम.टेलर,

सदस्य:

ए-103, अवधूत नगर, सोसाइटी-1, गली नं. 7, पोलीटेक्निक के पीछे, भरूच – 392002, गुजरात।

(7) सदस्य सचिव

सदस्य सचिव।

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "पर्यावरण भवन" सेक्टर 10ए, गांधीनगर, गुजरात।

- 2. उक्त समिति की सिफारिशें, उक्त प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चय के लिए विचार में ली जाएगी।
- 3. गुजरात की उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 4. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए, -
 - (1) उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्य, -
 - (क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन से और साथ ही किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं;
 - (ख) परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे, जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है, या जिस पर उनके कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है; और

- (2) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, उक्त समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उक्त समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे।
- 5. उक्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
- 6. उक्त समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मित पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि वे सर्वसम्मित पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
- 7. गुजरात सरकार, उक्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उनके कानूनी कार्यों के सम्बन्ध में अन्य सुविधाएं भी हैं, वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा।
- 8. उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गुजरात सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त होगा।

[फा. सं.-आईए3-13/4/2023-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2023

S.O. 2581(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee for Gujarat (hereinafter referred to as the said Committee), for a period of three years comprising of the following persons, namely: -

(1) Shri Akshay Kumar Saxena,

Chairman;

Indian Forest Service (Retired)

K-219, Sector-19,

Gandhinagar - 382019, Gujarat.

(2) Dr. Suresh Chandra Pant,

Member;

Indian Forest Service (Retired)

Plot No. 727/A, Sector-8,

Gandhinagar - 382007, Gujarat.

Member;

(3) Shri Dhansukhbhai C. Chaudhari,

Ex. Director of Industrial, Safety and Health

A-26/27, Nuclear Park Society,

Opposite Yash Complex, Gotri Road,

Vadodara, Gujarat.

(4) Shri J. K. Vyas,

Member;

Ex Director (Environment)

Ex Director (Environment)

A/1002, Ratnakar-4, Prerana Tirth Derasar Road, Opposite Ratnakar-

2, Jodhpur Village, Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat.

(5) Shri Anand Zinzala,

Ex Joint Secretary,

Plot No. 505/1, Sector- 6/B,

Gandhinagar - 382006, Gujarat.

(6) Shri B. M. Tailor,

Member:

Member;

A-103, Avdhootnagar Society-1,

Street No. 7, Behind Polytechnic,

Bharuch - 392002, Gujarat.

(7) Member Secretary,

Member Secretary.

Gujarat Pollution Control Board, "Paryavaran Bhavan" Sector-10-A, Gandhinagar, Gujarat.

- 2. The recommendations of the said committee, shall be taken into consideration by the said Authority for its decision.
- 3. The Chairman and members of the said Committee, Gujarat shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 4. In order to avoid any conflict of interest, -
 - (1) the Chairman and members of the said Committee shall,-
 - (a.) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b.) not undertake any consultation or association with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (2) If in the preceding five years, the Chairman or any member of the said Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the said Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
- 5. The said Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.
- 6. The said Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.
- 7. The Government of Gujarat shall specify an agency to act as Secretariat of the said Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions.
- 8. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and members of the said Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Gujarat.

[F. No. IA3-13/4/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.